भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 649

दिनांक 08/12/2023

बायोफोर्टिफाइड बीजों का पारिस्थितिकीय प्रभाव

649. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार मसालों, गेहूं, सरसों, मोटे अनाज, फलों और सब्जियों के लिए बायोफोर्टिफाइड बीज विकसित करने का विचार रखती है;
(ख) क्या सरकार ने पारिस्थितिक स्थितियों, विशेषकर मिट्टी और पानी पर ऐसे बायोफोर्टिफाइड बीजों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;
(ग) क्या ऐसे बायोफोर्टिफाइड बीजों की उपज बाजार में उपलब्ध मौजूदा किस्म से अधिक महंगी होगी, और यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऐसी उपज उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और
(घ) क्या सरकार ने भारत में पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई और कदम उठाया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी, हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में खेत फसलों की 124 किस्मों (चावल-10; गेहूँ-43; मक्का-20, बाजरा-11, कुटकी या कोदों-13, अलसी-1, मसूर-2, चना 2, मूँगदाल-1, मटर 1, उड़द दाल 1, सरसों-8, सोयाबीन-7, तिल-1, मूँगफली-3) और बागवानी फसलों की 18 किस्मों, (शकरकंद-5, चौलाई-3, रतालू-2, आलू-2, गोभी, भिंडी, अंगूर, केला, अमरूद और अनार की एक-एक) सहित 142 जैव प्रबलित (बायोफोर्टिफाइड) किस्मों को वर्ष 2014 से विकसित किया जा चुका है।

(ख) इन जैव प्रबलित (बायोफोर्टिफाइड) किस्मों का कोई प्रभाव पारिस्थितिकी की अवस्थाओं, विशेषकर मृदा और जल पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सामान्य रूप से पैदा की जाने वाली किस्में हैं और उनकी जल एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता पारम्परिक किस्मों की भाँति होती है।
(ग) एवं (घ): सभी जैव प्रबलित किस्में पैदावार में सम्बन्धित फसलों की पारम्परिक किस्मों के बराबर अथवा बेहतर होती हैं। इन जैव प्रबलित किस्मों की उपज, बाज़ार में उपलब्ध मौजूदा किस्मों की अपेक्षा महँगी नहीं होती है, क्योंकि जैवप्रबलित किस्मों की खेती करने में उपज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और अतिरिक्त लागत का खर्च़ नहीं होता है।

वर्ष 2019-20 से जैवप्रबलित किस्मों के 37425.7 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन हो चुका है और उसकी आपूर्ति विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी बीज उत्पादन एजेंसियों को की गई है, जिससे इनके आधारीय एवं प्रामाणिक बीजों को बढ़ाया जा सके। इसके बाद प्रामाणिक बीज किसानों को खेती के लिए दिया जाता है और जैवप्रबलित बीज की उपज समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को उपलब्ध

कराई जाती है। पिछले छः वर्षों के दौरान जैव प्रबलित किस्मों के अंतर्गत 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक को कवर किया गया है, जिसमें गेहूँ, चावल, बाजरा, सरसों और मूँग शामिल हैं।

(ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत किसानों को हस्तक्षेपों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से सहायता दी जाती है। ये हस्तक्षेप हैं-पद्धतियों के उन्नत पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, बीज उत्पादन, उच्च उपज वाली किस्मों/संकरों के वितरण, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि। मिशन ने विषयवस्तु विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों के पर्यवेक्षण में किसानों को प्रौद्योगिकी बैक स्टॉपिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भाकृअनुप, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों को भी सहायता प्रदान की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत राज्य/भाकृअनुप जैव प्रबलित किस्मों पर अद्यतन फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन/ फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं। राज्यों को भी जैव प्रबलित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

******